6

सामाजिक सुरक्षा

प्रस्तावना

6.1 सामाजिक सुरक्षा सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और बेरोजगारी, बीमारी, अपंगता, मृत्यु और वृद्धावस्था में समुचित सहायता प्रदान करती है। सरकार का यह मूलभूत उत्तरदायित्व है कि वह देश के कामगार वर्ग तथा उसके परिवार को सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता मुहैया करवाने के लिए समुचित प्रणाली विकसित करे । भारत में शहरीकरण और कार्यस्थल के स्थानांतरण के कारण परम्परागत पारिवारिक सहायता के अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा के लिए सार्वजनिक सहायता प्रणाली को प्रमुखता मिली है। सामाजिक सुरक्षा पर निर्भरता आवश्यकता और आय-स्तर के अनुसार भिन्नता लिए है ।

सामाजिक सुरक्षा कानून

6.2 भारत में अधिनियमित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कानून निम्नलिखित हैं:-

- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (कोयला खानों और असम राज्य में चाय बागानों में नियोजित कामगारों और नाविकों के लिए अलग से भविष्य निधि विधान है) ।
- कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923
- प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
- उपदान संदाय अधिनियम, 1972

सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों का प्रशासन

6.3 क.भ.निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम का संचालन भारत सरकार द्वारा क.भ.निधि संगठन के माध्यम से किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन नकद हितलाभ के भुगतान का संचालन क.रा.बी.निगम (ई.एस.आई.सी.) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अधीन चिकित्सीय देख-रेख का संचालन राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। उपदान संदाय अधिनियम का संचालन सरकार के नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों, जिनकी शाखाएं एक से अधिक राज्यों में हैं, प्रमुख गोदियों, खानों, तेल क्षेत्रों और रेलवे के लिये केन्द्र सरकार द्वारा और शेष मामलों में राज्य सरकारों, तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा किया जाता है। यह अधिनियम कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है । खानों और सर्कस उद्योग में, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के उपबंधों का संचालन मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि कारखानों, बागानों और अन्य प्रतिष्ठानों में राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबंधों का संचालन राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है ।

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

6.4 इस अधिनियम का उद्देश्य कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि, पेंशन व बीमा स्थापित करना है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से इस अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान में निम्नलिखित तीन योजनाएं चलाई जा रही हैं:

- कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
- कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

स्थापनाओं एवं सदस्यों की व्याप्ति

6.5 वर्तमान में यह अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट 180 विनिर्दिष्ट उद्योगों/ स्थापनाओं के वर्गों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किसी गतिविधि, जिसमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, पर लागू है । 31मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार, छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त दोनों क्षेत्रों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन 3,70,386 स्थापनाएं और कारखाने व्याप्त हैं जिनमें सदस्यों की संख्या 400.92 लाख हैं । दिनांक 01.06.2001 से किसी

व्याप्त स्थापना में कार्यग्रहण करने वाले तथा 6500/-रुपए तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले कर्मचारी इसके सदस्य बनते हैं ।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

6.6 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की बकाया राशि 1862.80 करोड़ रुपये थी । क.भ.नि. संगठन चूककर्ता नियोक्ताओं के विरूद्ध क.भ. नि. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाई भी करता है । साथ ही, संगठन उन नियोक्ताओं पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई करता है जो कर्मचारियों का अंशदान काटते तो हैं किन्तु उसे निधि में जमा नहीं कराते। वर्ष 2003-2004 के दौरान 1832.70 करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूल की गई ।

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना,1976

6.7 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976, 1 अगस्त, 1976 से सभी कारखानों/स्थापनाओं पर लागू है । उन सभी कर्मचारियों जो क.भ.निधि के सदस्य हैं, से अपेक्षा है कि वे इस योजना के भी सदस्य बने । नियोजकों से अपेक्षित है कि वे वेतन अर्थात् मूल मजदूरी, भोजन रियायत की कैश वैल्यु तथा प्रतिधारण भत्ते यादि कोई हों, सहित मंहगाई भत्ते की 0.5 प्रतिशत की दर से बीमा निधि में अंशदान का भुगतान करें । वर्ष-2003-2004 के दौरान नियोक्ताओं के अंशदान के रूप में 175.36 करोड़ रुपये जमा किए गए। वर्ष 2003-2004 के दौरान 19,874 दावे निपटाए गए और 50.78 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई । वर्ष 2003-2004 के अंत तक इस योजना के अधीन क.भ.निधि संगठन का 3485.22 करोड़ रुपए का संचयी निवेश था ।

कर्मचारी पेंशन योजना

व्याप्ति

6.8 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 दिनांक 16.11.1995 से लागू की गई है । पेंशन योजना के आरम्भ होने पर पूर्व में लागू परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त कर दी गई । तथापि, जो पेंशनभोगी पूर्व की परिवार पेंशन योजना के अधीन लाभ प्राप्त कर रहे थे, वे कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अंतर्गत परिवार पेंशन प्राप्त करते रहेंगे ।

पात्रता

6.9 सदस्यों की आयु 58 वर्ष होने पर तथा कम-से-कम 10 वर्ष की अंशदायी सेवा (जिसमें सदस्यता अवधि तथा परिवार पेंशन योजना, 1971 की अवधि शामिल है), होने पर वे अधिवर्षिता-निवृत्ति पेंशन पाने के हकदार होंगे। 10 वर्ष से कम सेवा वाले, सदस्य योजना प्रमाण-पत्र अथवा प्रत्याहरण लाभ, जैसी भी स्थिति हो, पाने के हकदार होंगे।

योजना के अंतर्गत लाभ

6.10 कर्मचारी पेंशन योजना, 95 निम्नलिखित हितलाभ पैकेज उपलब्ध कराती है :-

- **58 वर्ष की आयु होने पर अधिवर्षिता-निवृत्ति**
- **सेवानिवृत्ति लाभ**
- **पूर्ण स्थायी अपंगता**
- **सेवा के दौरान मृत्यु**
- **सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता-निवृत्ति/पूर्ण स्थायी अपंगता के पश्चात् मृत्यु**
- **बाल पेंशन**
- **अनाथ पेंशन**

6.11 वर्ष 2003-2004 के दौरान क.भ.नि.संगठन द्वारा निपटाए गए पेंशन दावों (सभी लाभों) का श्रेणीवार ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

दावों की श्रेणी	निपटाए गए दावों की संख्या
मासिक पेंशन लाभ	322145
जीवन बीमा लाभ	1811872
सेवानिवृत्ति एवं प्रत्याहरण लाभ	
प्रतिदाय	
कुल	2134017

पेंशन निधि में अंशदान

6.12 योजना का वित्त पोषण, भविष्य निधि अंशदान नियोक्ता शेयर से 8.33ऽ अन्तरित करके व केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में मूल मजदूरी के 1.16 प्रतिशत की दर से किया जाता है । समाप्त की जा

चुकी परिवार पेंशन की कुल संचित राशि पेंशन निधि की समुच्य राशि है। वर्ष 2003-04 के दौरान 5942.55 करोड़ रुपये पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें 5942.55 करोड़ रुपये नियोक्ता शेयर का तथा 450 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार का अंशदान है।

पेंशन लाभाधिकारी

6.13 समाप्त की जा चुकी परिवार पेंशन योजना के लाभाधिकारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ पाते रहेंगे । दिनांक 31.3.2004 को योजना के अंतर्गत 9,62,999 सदस्य, 4,31,642 विवाहिता, 3,48,450 बच्चे, 7,262 अनाथ एवं 8,488 नामिती पेंशन प्राप्त कर रहे हैं । वर्ष के दौरान पेंशन भोगियों को कुल 1496.88 करोड़ रुपये राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं डाकघरों के माध्यम से वितरित किए गए ।

आधुनिकीकरण कार्यक्रम

क.भ.नि.संगठन का पुनर्निर्माण

6.14 इस समय क.भ.नि.संगठन के देश भर में 260 कार्यालय हैं जिनमें 20,000 कर्मचारी कार्यरत हैं और सूचना प्राद्योगिकी सुधार कार्यक्रम की कार्रवाई की जा रही है जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में एकीकृत सूचना तंत्र स्थापित करना है ।

6.15 ''पुनर्निर्माण-क.भ.निधि संगठन-भारत'' नामक कार्यक्रम निम्नलिखित की उपलब्धि के लिए है:-

- प्रत्येक अभिदाता को एक विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा पहचान संख्या आबंटित की जाएगी । स्थापनाओं को भी अलग से एक विशिष्ट संख्या का आबंटन उनकी कारोबारी संख्या के रूप में किया जाएगा ।
- अभिदाता-सदस्य किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर अपना खाता संख्या बताकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं अर्थात् ''किसी भी समय-कहीं भी'' सेवा मुहैया करवाना अपेक्षित है ।
- यह अनुपालन कार्य-पद्धति सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होगी जो एकत्र की गई सूचना एवं तीसरे दल द्वारा एकत्र की गई आसूचना पद्धति पर निर्भर होगी ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

व्याप्ति

6.16 क.रा.बी.अधिनियम में बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामलों में स्वास्थ्य देखरेख और नकद लाभों का प्रावधान है । अधिनियम विद्युत शक्ति का प्रयोग करने वाले और 10 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले गैर-मौसमी कारखानों तथा विद्युत शक्ति का प्रयोग न करने वाले और 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले कारखानों तथा कतिपय अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है । इस अधिनियम को क्षेत्रवार चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है । कर्मचारी राज्य बीमा योजना 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 689 केन्द्रों में संचालित है । 31.3.2004 तक योजना के अंतर्गत 79.12 लाख बीमाकृत व्यक्तियों एवं लगभग 307 लाख लाभाधिकारियों को व्याप्त किया गया है । वर्ष के अंत तक व्याप्त कारखानों तथा स्थापनाओं की संख्या बढ़कर 2,63,650 तक पहुंच गई ।

प्रशासन

6.17 क.रा.बी.योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (क.रा.बी.निगम) नामक सांविधिक निकाय द्वारा प्रशासित की जाती है जिसमें नियोक्ता, कर्मचारी, केन्द्र और राज्य सरकारों, चिकित्सा व्यवसाय एवं संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं । केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री इसके अध्यक्ष हैं । निगम के सदस्यों में से ही गठित स्थायी समिति योजना के प्रशासन में कार्यकारिणी निकाय की भूमिका निभाती है तथा इसके अध्यक्ष, सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, हैं । चिकित्सा हितलाभ के प्रावधानों से संबंधित विषयों पर निगम को सलाह देने के लिए एक चिकित्सा हितलाभ परिषद भी है । आधारिक स्तर पर क्षेत्रीय बोर्ड तथा स्थानीय समितियां भी स्थापित की गई हैं । 24 क्षेत्रीय बोर्ड, 349 स्थानीय समितियां मौजूद हैं । निगम की सामान्य प्रयोजन उप समिति उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा देखरेख की गुणवत्ता के मूल्यांकन की दृष्टि से समय-समय पर विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का दौरा करती है तथा सेवा वितरण प्रणाली में और सुधार करने हेतु सुझाव देती है। महानिदेशक (क.रा.बी. निगम) निगम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं निगम के पदेन सदस्य भी हैं । क.रा.बी.निगम के दिल्ली में स्थित मुख्यालय के

अलावा देश भर में अनेक फील्ड कार्यालय हैं । निगम के देशभर में 23 क्षेत्रीय कार्यालय, 15 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 628 शाखा कार्यालय, 272 निरीक्षण कार्यालय एवं 180 भुगतान कार्यालय हैं जो योजना का प्रशासन चला रहे हैं ।

योजना का वित्त पोषण एवं प्रचालन

6.18 क.रा.बी.योजना का वित्त पोषण मुख्यतः नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों से प्राप्त अंशदान से होता है। नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के अंशदान की दर क्रमशः 4.75 प्रतिशत तथा 1.75 प्रतिशत है । चिकित्सा देखरेख की व्यवस्था पर होने वाले व्यय के लिए राज्य सरकार का शेयर 12.5ऽ (प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा के भीतर 1/8 भाग) है । निगम ने चिकित्सा देखरेख पर होने वाले शेयर योग्य व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की है । 1 अप्रैल, 2004 से प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक के व्यय की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 750/- रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है । इस प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा में से 170/- रु. औषधि एवं मरहम पट्टी के लिए, 50/- रु. चिकित्सा प्रतिपूर्ति/रैफरल उपचार पर व्यय अग्रिम प्रदान करने के लिए, 20/- रु. उपस्करों की मरम्मत एवं रखरखाव तथा वार्षिक अनुरक्षण ठेके के लिए निश्चित किए गए हैं। 150/- रु. राज्य सरकार के विवेकानुसार उपर्युक्त चार उप शीर्षों में से किसी एक पर खर्च करने के लिए रखे गए हैं । तथापि, खर्च की कतिपय विशिष्ट मदें अधिकतम सीमा के बाहर उपलब्ध कराई जाती हैं तथा एक ही अनुपात में शेयर की जाती हैं । क.रा.बी. अस्पतालों और अन्य भवनों के निर्माण और उनके रखरखाव पर समस्त पूंजीगत व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाता है ।

निवेश और ब्याज की दर

6.19 क.रा.बी. अधिनियम के अधीन प्राप्त समस्त अंशदान तथा निधि से संबंधित समस्त अन्य धनराशि, जिसकी दिन प्रतिदिन का खर्च करने के लिए तात्कालिक आवश्यकता नहीं है, सांविधिक रूप में विहित रीति से निवेशित की जाती है । 31.10.2004 की स्थिति के अनुसार 9834.36 करोड़ रुपये की निधि का कुल निवेश किया गया है । इसमें से 4835.71 करोड़ रुपए की राशि केन्द्रीय सरकार के विशेष जमा लेखा में निवेश की गई है तथा 4998.65 करोड़ रुपए की शेष राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों, वित्तीय संस्थानों आदि में सावधि जमा के रूप में निवेशित है ।

क.रा.बी. देयों की बकाया राशि

6.20 व्याप्त कारखानों/स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा चूक के कारण 31.03.2004 की स्थिति के अनुसार 918.47 करोड़ रु. की राशि बकाया थी । इसमें से 334.49 करोड़ रु. की राशि विभिन्न कारणोंवश जैसे उद्यमों के परिसमापन में चले जाने अथवा वसूली को न्यायालयों में विवादित किए जाने के कारण फिलहाल वसूलनीय नहीं है । शेष 583.98 करोड़ रु. की राशि वसूलीय है । निगम क.रा.बी. देयों की वसूली के लिए क.रा.बी. अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों और भारतीय दंड संहिता के अधीन वसूली तंत्र, वैधानिक तथा दाण्डिक कार्रवाइयों के माध्यम से आवश्यक वसूली कार्रवाई कर रहा है । 2003-2004 वर्ष के दौरान निगम ने अपने वसूली तन्त्र के माध्यम से चूककर्त्ताओं से 131.50 करोड़ रु. की राशि वसूल की है । इसके अलावा, अप्रैल, 2004 से नवम्बर, 2004 तक 100.23 करोड़ रु. वसूल किए गए हैं ।

स्वास्थ्य संबंधी लाभ

6.21 इस योजना में बीमाकृत व्यक्तियों (आई.पी.) को प्राथमिक स्वास्थ्य-सेवा से लेकर अति विशेषज्ञ उपचार की सभी चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं । दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के नोएडा को छोड़कर योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखरेख का प्रशासन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, इस संबंध में उनकी सांविधिक जिम्मेदारी है । निगम प्रत्यक्ष रूप से पांच व्यावसायिक रोग केन्द्रों एवं सामान्य अस्पतालों को भी प्रशासित करता है जिनमें, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता एवं नागदा (म.प्र.) प्रत्येक में एक-एक है ।

6.22 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निगम ने राउरकेला (उड़ीसा) में एक नया क.रा.बी. अस्पताल चालू किया है । अक्तूबर, 2004 के अन्त तक क.रा.बी. अस्पतालों की कुल संख्या 143 थी ।

कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा की संरचना
(31.3.2004 की स्थिति के अनुसार)

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल	143
कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियां	42
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में निर्मित बिस्तर	23063
कर्मचारी राज्य बीमा एनेक्सियों में बिस्तर	849
राज्य सरकार के अस्पतालों में आरक्षित बिस्तर	3187
बीमा चिकित्सा व्यवसायियों (बी. चि. व्यव.) की संख्या	7171
क.रा.बीमा औषधालय	1452
पैनल क्लीनिक	2511

वर्ष 2003-2004 में निगम की उपलब्धियाँ

- कर्मचारी राज्य बीमा योजना 143 अस्पतालों, 42 एनेक्सियों, 1452 औषधालयों, 2511क्लीनिकों तथा 808 शाखा कार्यालयों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से 310 लाख लाभाधिकारियों को सामाजिक संरक्षण उपलब्ध कराती है ।

- प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार एकक खर्च की अधिकतम सीमा को 01.04.2004 से बढ़ाकर 750/-रु. प्रति वर्ष कर दिया गया है ।

- कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सरल पहुंच के लिए प्रशासनिक तन्त्र को विकेन्द्रीकृत करने के अपने सतत प्रयास के चलते निगम ने अंबाला (हरियाणा) और कोल्लम (केरल) प्रत्येक में एक-एक क.रा.बी.निगम के दो नए प्रभागीय कार्यालय स्थापित किए हैं ।

- निगम ने आश्रितजन हितलाभ की भुगतान पंजी पर बच्चों के संबंध में आश्रितजन हितलाभ की पात्रता के लिए आयु सीमा को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का अनुमोदन कर दिया है।

- 01.04.2004 से क.रा.बी. योजना के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 6500/-रुपये से बढ़ाकर 7500/- रुपये किया गया है ।

- 1.4.2004 से बीमारी हितलाभ दर को 125/- रु. से बढ़ाकर 145/- रु. करते हुए तालिका में दैनिक मानक हितलाभ दरों के चार और नए स्लैब जोडे गए हैं ।

- 50/-रुपये प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को क.रा.बी. अंशदान देने से छूट प्रदान की गई है परन्तु अंशदान का नियोजक शेयर देय है ।

पूर्ण वर्ष या उसके भाग जो छह मास से अधिक का हो, के लिए 15 दिन की मजदूरी की दर से अधिकतम 3.50 लाख रुपये तक उपदान (ग्रेच्युटी) प्राप्त करने का हकदार है ।मौजूदा अधिकतम सीमा 24.9.1997 से लागू है । अधिनियम के दायरे में आने के लिए मजदूरी की अधिकतम सीमा को 24.5.1994 से बढ़ाया गया है।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923

6.24 अधिनियम के अंतर्गत उन कर्मकारों तथा उनके आश्रितजनों को मुआवजा देने का प्रावधान है जो कार्य के कारण अथवा कार्य के दौरान हुई किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं (इसमें कुछ, कार्य के दौरान होने वाली बीमारियां शामिल हैं) तथा जिसके परिणामस्वरूप अपंगता अथवा मृत्यु हो जाती है । यह रेलवे कर्मचारियों तथा अधिनियम की अनुसूची 2 में उल्लिखित ऐसी किसी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होता है । अनुसूची-2 में कारखानों, खानों, बागानों, यन्त्रवत् चालित वाहनों, निर्माण कार्यों तथा अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगे व्यक्ति शामिल हैं । पूर्ण स्थायी अपंगता तथा मृत्यु के लिए न्यूनतम मुआवजे के लिए क्रमशः 90,000/- रुपये तथा 80,000/- रुपये नियत किए गए हैं । कर्मकार की आयु और मजदूरी के आधार पर मृत्यु और पूर्ण स्थाई अपंगता के लिए अधिकतम राशि 4.56 लाख रुपए तथा 5.48 लाख रुपए तक हो सकती है ।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

6.25 प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कुछ स्थापनाओं में कार्यरत महिलाओं को एक विशेष अवधि के लिए, बच्चे के जन्म से पहले तथा बाद में प्रसूति एवं अन्य लाभ दिए जाते हैं । यह अधिनियम(कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अधीन व्याप्त कर्मचारियों को छोड़कर) उन खानों, कारखानों, सर्कस उद्योग, बागानों, दुकानों तथा उन स्थापनाओं में लागू होता

उपदान संदाय अधिनियम, 1972

6.23 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 उन कारखानों/स्थापनाओं पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों । पांच वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर कर्मचारी अपनी सेवा के प्रत्येक

है जिनमें दस या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों । राज्य सरकारों द्वारा इसे अन्य स्थापनाओं पर भी लागू किया जा सकता है । अधिनियम के अंतर्गत व्याप्ति के लिए वेतन की कोई सीमा नहीं है ।